| हुकम | | तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.04.2022 | प्रार्थिया सर्वजीत कौर पत्नी मंगा सिंह जाति महजबी निवासी चक 10 ओ तेजेवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 39 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 45/45 के मु.न. 3 की कुल 3.162 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थी या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थिया को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली ... तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। | |
| 25/7/22 | आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थिया का कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थिया का कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो | |
| | उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर | |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:17:25 IST
Reason: SelfAttested